ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना

—::ज्ञापन::—

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी (सीतामढ़ी) के कार्यालय के कार्यकलाप से संबंधित अभिलेखों की जाँच दिनांक 05.12.2024 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभग एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित साक्ष्य के आधार पर की गई।

2. जाँच प्रतिवेदनानुसार श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम निम्न आरोपों के लिए दोषी पाये गये :–

(1) श्री संतोष कुमार, तदेन रोकड़पाल/निम्नवर्गीय लिपिक, कार्य प्रमंडल पुपरी का अन्यत्र कार्यालय में स्थानांतरण हो जाने के उपरांत कार्य प्रमंडल, पुपरी का महत्वपूर्ण अभिलेख एवं कैश बुक अपने साथ लेकर चले गये। एतद् संबंधी अभिलेख प्राप्त करने के संदर्भ में श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ हीं श्री मनोज कुमार द्वारा श्री संतोष कुमार, तदेन रोकड़पाल/निम्नवर्गीय लिपिक के विरूद्ध न तो अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी और न हीं इनके विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। कैश बुक एवं अन्य कागजातों का कार्य प्रमंडल, पुपरी में नही रहना अत्यंत गंभीर मामला है। उक्त से स्पष्ट होता है कि श्री मनोज कुमार के द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में गंभीर चूक की गई है, जो उनके कार्यालय पर समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अभाव को दर्शाता है।

(2) उक्त से स्पष्ट है कि श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन है।

3. उक्त तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है।

4. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम से अपेक्षा की जाती है कि अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर अपना स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत करें।

5. श्री मनोज कुमार को सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मदों के संबंध में स्पष्टीकरण उपर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।

कृपया इस ज्ञापन की प्रति स्वीकार की जाय।

SKumar
29/4/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

पटना / दिनांकः—

ज्ञाप सं0:—3 / अ0प्र0—8—12 / 2024

प्रतिलिपिः— श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम को आरोप पत्र तथा साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Skumar 29/4/25

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:—3 / अ0प्र0—8—12 / 2024 4763 पटना / दिनांकः— 30.4.25

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Skumar 29/4/25

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग